



383

उपायुक्त कार्यालय, रेवाड़ी  
DEPUTY COMMISSIONER OFFICE, REWARI

सेवा मे,

उपमण्डल अधिकारी (ना0),  
रेवाड़ी/कोसली/बावल।

यादि क्रमांक 487-89 / COVID-19 / DPO दिनांक 02-04-2020

विषय

Items and norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) in Wake of COVID-19 Virus outbreak.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 471-73 / COVID-19 दिनांक 28.03.2020 के निरन्तर में।

सन्दर्भित पत्र द्वारा सरकार द्वारा अलॉट की गई राशी मे से आपको निम्नप्रकार से राशी अलॉट की गई है :-

| क्र0 सं0 | उप मण्डल का नाम                 | आंवटित राशी        |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| 1        | उपमण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी। | 15,00,000 /- रुपये |
| 2.       | उपमण्डल अधिकारी (ना0), कोसली।   | 10,00,000 /- रुपये |
| 3.       | उपमण्डल अधिकारी (ना0), बावल।    | 10,00,000 /- रुपये |
| कुल जोड  |                                 | 35,00,000 /- रुपये |

उपरोक्त राशी बारे सरकार के पत्र क्रमांक 4887-E.R.-3-2020/spl/dated 21-03-2020 तथा पत्र क्रमांक DMC-spo-2020/2439 दिनांक 27.03.2020 की (संलग्न) प्रतियां भेजकर आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अलॉट की गई राशी का उपयोग सरकार द्वारा जारी हिदायत अनुसार किया जाये।

कृते: उपायुक्त रेवाड़ी।  
01-04-2020

पृ0 क्रमांक 490 / COVID-19 दिनांक 02-04-2020

इसकी एक प्रति आयुक्त महोदय गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त रेवाड़ी।  
01-04-2020